प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 970 सन 2021
अनवान :–

1. महावीर पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललानबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिह पुत्र लालदुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललानबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.682हैक भूमि वादी के नाम , खाता संख्या 154/76 की कुल 5.675हैक प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 155/76 की कुल 5.693हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 दोनो आपस में भाई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने भूमि काश्त की सुविधा एवं आवागमन एव सिचाई सूविधा को ध्यान में रखा जाकर अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि का आपस में बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हुआ था के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 , 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी आपस में भाई है जिनके नाम भूमि दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने काश्त/सिचाई /आवागमन की सूविधा को ध्यान में रखा जाकर आपसी सहमति से अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है वादी एव प्रतिवादी वाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.682हैक् भूमि वादी के नाम , खाता संख्या 154/76 की कुल 5.675हैक् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 155/76 की कुल 5.693हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 आपस में भाई है जो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से भूमि काश्त आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार काश्त करते है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल /सहमति भी पेश की जा चुकी है। तथा एक ही परिवार के खातेदार काश्तकार काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा करने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिबादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.682हैक् भूमि वादी के नाम , खाता संख्या 154/76 की कुल 5.675हैक् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 155/76 की कुल 5.693हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि निम्नप्रकार से वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज की जाती है।

रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 76/75 कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 5.682 है0 भूमि के खसरा नं. 356/131 की 1.4800है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.740 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र के नाम दर्ज की जावे तथा मिन दक्षिण की 0.740 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 देवीलाल के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 352/133 की 1.5180 है0 व 353/133 व 2.6840 है0 भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे इसके अलावा खाता संख्या 154/76 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 5.675 है0 भूमि के खसरा नं. 358/131 की 1.516 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.758 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 358/131 की शेष 0. 758 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रखी जावे तथा खसरा नं. 360/121 की 2.224 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 1.328 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा मिन मध्य की 0. 448 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रखी जावे व शेष मिन पश्चिम की 0.448 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 355/133 की 1.9350 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.299 है0 भूमि पर वादी के नाम दर्ज की जावे व शेष 1.636 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रखी जावे तथा खाता संख्या 155/76 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.693 है0 के खसरा नं. 357/131 की 2.783 है0 भूमि में से मिन दक्षिण की 1.372 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 359/121 की 2.9100 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 1.455 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे तथा मिन मध्य की 0.7275 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व मिन पश्चिम की 0.7275 है0 भूमि वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैक रहन यथावत रहेगा यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललानबास नथवानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 महेन्द्र सिह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललानबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 970 सन 2021 निर्णय दिनांक–20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.682हैक भूमि वादी के नाम , खाता संख्या 154/76 की कुल 5.675हैक प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 155/76 की कुल 5.693हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि निम्नप्रकार से वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज की जाती है।

रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 76/75 कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 5.682 है0 भूमि के खसरा नं. 356/131 की 1.4800है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.740 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र के नाम दर्ज की जावे तथा मिन दक्षिण की 0.740 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 देवीलाल के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 352/133 की 1.5180 है0 व 353/133 व 2.6840 है0 भूमि वादी के नाम यथावत रखी जावे इसके अलावा खाता संख्या 154/76 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 5.675 है0 भूमि के खसरा नं. 358/131 की 1.516 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.758 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 358/131 की शेष 0.758 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रखी जावे तथा खसरा नं. 360/121 की 2.224 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 1.328 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा मिन मध्य की 0.448 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रखी जावे व शेष मिन पश्चिम की 0.448 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 355/133 की 1.9350 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.299 है0 भूमि पर वादी के नाम दर्ज की जावे व शेष 1.636 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रखी जावे तथा खाता संख्या 155/76 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.693 है0 के खसरा नं. 357/131 की 2.783 है0 भूमि में से मिन दक्षिण की 1.372 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा खसरा नं. 359/121 की 2.9100 है0 भूमि में से मिन पूर्व की 1.455 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे तथा मिन मध्य की 0.7275 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व मिन पश्चिम की 0.7275 है0 भूमि वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैक रहन यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर